कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, द्वितीय तल, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल– 462 003)

क्रमांक 1517 /सम्पदा–5/2014 भोपाल, दिनांक 24/12/2014

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक,
उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट।

विषय– सम्पदा एप्लीकेशन के उपयोग में रखी जाने वाली सावधानियां।

उपर्युक्त विषयांतर्गत सम्पदा में कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें –

1. सर्विस प्रोवाईडर्स को निर्देशित करें कि वे Deed Draft करने के पश्चात् उसका PDF Print ले कर संबंधित पक्षकारों से अनिवार्य रूप से Check/Verify करवाएं। यदि कोई सुधार किया जाना आवश्यक हो तो ऐसे सुधार करने के पश्चात् ही Deed Draft को final upload/consume करें। एक बार final करने के बाद Deed Draft में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होता है।

2. सर्विस प्रोवाईडर्स को यह भी निर्देशित करें कि Deed Drafting करते समय पक्षकारों का विवरण जिस क्रम में उनके द्वारा लिखा जाए, उसी क्रम में Registration Initiation करते समय पक्षकारों का क्रम रखा जाए। उदाहरण के लिए यदि Deed Draft में दो विक्रेता **अ** और **ब** हैं एवम् क्रेता **स** और **द** हैं तो Registration Initiation करते समय भी पक्षकारों को इसी क्रम में विक्रेता **अ** और **ब** एवम् क्रेता **स** और **द** रखा जाए। इसी प्रकार अन्य सभी तथ्यों (Recitals) जैसे पक्षकारों का नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, व्यवसाय, निवास, प्रतिफल की राशि (नकद रूपए, चेक क्रमांक, डीडी क्रमांक इत्यादि), सम्पत्ति का विवरण, भू–अधिकार ऋण–पुस्तिका क्रमांक, खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, चतुर्सीमा एवं डीड से संबंधित अन्य सभी विवरण Deed Draft एवं Registration Initiation दोनों में समान हों।

3. अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाए कि Registration completion करते समय दस्तावेज के प्रकार (A1/A3/A4/S1) का चयन विशेष सावधानीपूर्वक किया जाए, क्योंकि एक बार दस्तावेज के प्रकार का चयन यदि गलत कर लिया जाता है, तो इसे संशोधित किया जाना संभव नहीं होगा।

Dipali Rastogi
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 1518/सम्पदा–5/2014 भोपाल, दिनांक 24/12/2014

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर – जिला उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।

DR

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

E:\Jyoti 2014\General letter\SAMPADA.docx